क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–125/ दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गोयल एम.एल. संख्या 42/2018 एवं श्री विनोद भाटी एम.एल. संख्या 77/2018 द्वारा जोताया ग्रेनाइट क्लस्टर खनन परियोजना ग्राम–जोताया, तहसील–टांटोटी, जिला–अजमेर जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पटटा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	उत्पादन क्षमता
1	श्री राजेश कुमार गोयल खसरा संख्या 1869	42/2018	1.7910	283346 टीपीए (आर.ओ.एम.)
2	श्री विनोद भाटी खसरा संख्या 146	77/2018	1.9644	265806 टीपीए (आर.ओ.एम.)
3	श्री शिवराज खटीक	34/2018	1.7639	120000 टीपीए
4	मैसर्स इनानी इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा. लि.	03ए/2013	3.00	100000 टीपीए
5	मैसर्स राजलक्ष्मी स्टोन	92/2011	1.91	36383 टीपीए
6	श्री भूपेन्द्र चौधरी	09ए/2000	1.48	51300 टीपीए
7	मैसर्स मंगलम मिनरल्स	02/2014	1.65	76500.5 टीपीए
8	श्री विश्वनाथ पाराशर	39/2013	3.0	40000 टीपीए
9	श्रीमति बबीता सिन्हा	174ए/1993	1.0	225781 टीपीए
10	श्री सालासर ग्रेनाइट	10ए/2013	1.48	40320 टीपीए
11	मैसर्स निरानिया माइन्स	191ए/2012	2.3681	92400 टीपीए
12	श्री सुशील मलिक	10ए/2000	1.27	24503 टीपीए
13	श्री पंचमुखी बालाजी ग्रेनाइट	151ए/2010	3.0	83684 टीपीए
14	श्री अनिल डांगी	222/2010	2.03	38250 टीपीए
15	श्री अशोक चांदना	4794ए/1996	1.93	126224 टीपीए
16	मैसर्स निम्बेश्वर ग्रेनाइट	36ए/2013	3.0	75000 टीपीए
17	श्री सत्यजीत खत्री	06/2014	3.0	81821 टीपीए
18	श्री रगंलाल जाट	18ए/2002	2.25	80000 टीपीए
19	मैसर्स टाइगर ग्रेनाइट	161ए/1993	1.0	95330 टीपीए
20	श्री सीता राम मंगल	84ए/2011	3.0	30564 टीपीए
21	मैसर्स तिरूपति ग्रेनी स्टोन प्रा. लि.	217ए/1991	1.0	40000 टीपीए
22	श्रीमति शालू खींची	93ए/2011	3.0	88530 टीपीए
23	श्री सोहन लाल मेघवंशी	165ए/2011	3.0	18720 टीपीए
24	श्रीमति शान्ति गोयल	347ए/1995	1.99	15300 टीपीए

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 50.8774 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–2129762.5 टीपीए ग्राम जोताया, तहसील टांटोटी, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि श्री राजेश कुमार गोयल एम.एल. संख्या 42/2018 एवं श्री विनोद भाटी एम.एल. संख्या 77/2018 ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

1. जिला कलक्टर, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
5. तहसील–टांटोटी, जिला–अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, रामालिया, तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2021/9554 दिनांक 20.07.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 28/08/2021 को दोपहर 03:30 बजे, स्थान – राजीव गांधी सेवा केन्द्र, रामालिया, तहसील भिनाय, जिला–अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तंवर)
पर्यावरण अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी